न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 47/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
पीरबक्श पुत्र कमरूदीन जाति मुसलमान तेली निवासी मुण्डवा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1राज. सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा। 2पटवारी मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री मधुर सिखवाल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 04.11.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अर्पीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 211/2015 सरकार बनाम पीरबक्श में निर्णय दिनांक 19.02.2015 के तहत मौजा मुण्डवा के खसरा नं. 356 गै.मु. बा–1 भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.06.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 07.06.2018 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नोटिस की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 211/2015 सरकार बनाम पीरबक्श मे पारित निर्णय दिनांक 19.02.2015 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, ग्राम मुण्डवा की जमाबंदी संवत 2068 की फोटोप्रति तथा फोटोग्राफ्स 4 प्रस्तुत किये गये। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट दिनांक 19.02.15 को अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ व जवाब मय दस्तावेज व साक्ष्य सबूत के पेश करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे निवेदन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वार मौखिक मे अपीलांट के निवेदन को स्वीकार किया गया तथा अपीलांट के हस्ताक्षर खाली आदेशिक पर करवा लिये व अपीलांट को जवाब का समय प्रदान कर दिया गया। अपीलांट को यह कहा गया कि आपके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप कर दी जायेगी, जब अपीलांट को दिनांक 20.5.18 को पटवारी द्वारा 24 रू. के जुर्माना अदा करने को कहा गया तो, अपीलांट ने कारण पूछा तो अपीलांट को कहा गया कि आपके विरूद्व तो दिनांक 19.2.15 को ही बेदखली व जुर्माने के आदेश कर दिये गये थे, तब अपीलांट ने 1.6.18 को अधीनस्थ न्यायालय से नकल के लिये आवेदन प्रस्तुत किया। नकल प्राप्त की तथा दिनांक 2.6.18 व 3.6.18 को राजकीय अवकाश होने के कारण दिनांक 4.6.18 को न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत की। अपील पेश करने मे हुआ विलंब सदभावी, युक्तियुक्त, संगत, सम्यक, उचित कारणो से हुआ विलंब है, जो जानकारी के अभाव मे आदेश से अनभिज्ञता के कारण हुआ है, इस कारण इस तकनीकी बिन्दु को महत्व न देकर गुणावगुण पर अपीलांट के हितो का संरक्षण करते हुए अपील का निस्तारण किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। अपील पेश करने मे हुआ विलंब कंडोन किया जाकर अपील अपीलांट मेरिट पर सुनवाई का निवेदन किया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून तथ्यों व परिस्थितियो के विरूद्व साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्व तथा मौके की स्थिति के विरूद्व होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)–वादग्रस्त भूमि जिस पर अपीलांट का कब्जा है, वो कस्बा मुण्डवा के नगरपालिका क्षेत्र मे वार्ड नं. 19 मोहल्ला पंजाबी बाबा की प्याउ के पास मुण्डवा मे स्थित है, ऐसी दशा मे यह आबादी भूमि क्षेत्र मे आवरित होती है व राजस्व कार्यालय व रेस्पोडेन्टस को वादग्रस्त भूमि के संबंध मे किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने की वादग्रस्त भूमि के संबंध मे किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने की क्षेत्राधिकारिता हासिल नही है, ऐसी दशा मे यह कार्यवाही क्षेत्राधिकारातीत होने से खारिज होने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)–खसरा परिवर्तनशील संवत 2068 मे भी अपीलांट का नाम इन्द्राज है, जिसमे अपीलांट की काश्त व कब्जा का उल्लेख किया गया है, वास्तव मे अपीलांट का कब्जा उससे भी पूर्व कई वर्षो से है। मगर राजस्व कर्मचारियो की गलती के कारण राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट के कब्जे का इन्द्राज नही हुआ है। खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2068 से यह स्पष्ट है कि अपीलांट का कब्जा पुराना है एवं अपीलांट ने संवत 2071 मे कोई नया कब्जा नही किया है। जिससे स्वतः मौका रिपोर्ट व पटवारी रिपोर्ट गलत साबित होती है, इस कारण से भी निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अपीलंट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही नही दिया एवं मात्र चंद दिनो मे ही अपीलांट का प्रकरण निस्तारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है।

{2}(V)–अपीलांट को यह कहकर आदेशिक पर हस्ताक्षर करवाये थे कि आपकी उपस्थिति दर्ज करनी है व आपको जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जायेगा, मगर उसी दिन ही अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलांट को मुगालते मे रखकर अपीलांट के विरूद्व दिनांक 19.2.15 को ही बेदखली व जुर्माना के आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को खसरा नं. 356 रकबा 10 बिस्वा मौजा मुण्डवा पर अतिक्रमण का नोटिस दिया गया था, पटवारी रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर उक्त बाबत एक नक्शा भी बनाया गया था, उस नक्शे मे कही भी नाप का उल्लेख नही किया गया है एवं न ही किस दिशा मे, कितने नाप पर अतिक्रमण किया है, इस बाबत मौका रिपोर्ट मे किसी प्रकार का अंकन नही किया गया है, इससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नही है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु को नजरअदांज कर विधिक त्रुटि कारित की है, जिससे निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यंत ही जल्दी एवं हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(VIII)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टाईल निर्णय है, यह निर्णय पूर्व मे ही टाईप किया हुआ है, इसमे मात्र खाली स्थानो की पूर्ति के लिये नाम व खसरा नं. व जुर्माने का अंकन किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्व मे ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियों के टारगेट की रिकार्ड मे पूर्ति के लिये यह निर्णय जैर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IX)–अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना व अपने मे निहित क्षेत्राधिकारो का गलत रूप से प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत निर्णय नही होने के कारण निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा मुण्डवा में स्थित गै.मु. बा–1 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मुण्डवा के खसरा नंबर 356 गै.मु. बा–1 भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर